रजिस्ट्री सं० डी-(डी०)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 277] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 1974/कार्तिक 23, 1896
No. 277] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 1974/KARTIKA 23, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

Central Secretariat Library
Govt. of India

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 14th November 1974

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1974—March, 1975.*

No. 173-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book Volume II) for the period April, 1974—March, 1975 published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74 dated the 2nd April, 1974 as amended by Public Notice No. 90-ITC (PN)/74 dated the 19th June, 1974.

2. The following amendments may be made at the appropriate places indicated below:—

Page No. of the Red Book (Vol. II)	Reference	Amendment
99	B. 2.3 col. 4	After entry (c), the following entries may be inserted :— "(d)Cyclohexylamine. (e)Morpholine. (f)Diphenylamine. (g)Dphenylguanidine. (h)Dicyclohexylamine. (i)Santotherm. (j)Alumina Catalyst.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1974

विषय.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 वर्ष के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति ।

सं० 173—आई० टी० सी० (पी०एन०)/74.—सार्वजनिक सूचना संख्या : 90—आई० टी० सी० (पी०एन०)/74, दिनांक 19 जून, 1974 द्वारा यथा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या : 44—आई टी सी (पी० एन०)/74, दिनांक 2—4—1974 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 वर्ष के लिये जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक के बा० 2) में पंजीकृत निर्यातकों के लिये यथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्ट उपर्युक्त स्थानों पर किये जायें:—

रेडबुक (बा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
99	बी 2.3 ——— कालन—4	प्रविष्टि (सी) के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां की शामिल जायें:—
1	2	3
		"(डी) साक्लोहैक्सीलेमाइन, (ई) मार्फोलिन, (एफ) डाइफेनाईलेमाइन, (जी) डाइफेनाईलगुवानिडाइन, (एच) डाइक्लोरोहैक्सीलेमाइन, (आई) मान्नोथर्म, (जै) एलयुमीना कैटलिस्ट ।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1974—March, 1975.*

No. 174-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Ministry of Commerce Public Notice No. 144-ITC(PN)/74 dated the 26th September, 1974 on the above subject.

2. In Sub-para 2(ii) of the aforesaid Public Notice, it has been stated that where an exporter makes nomination for 50 per cent of the FOB value of exports of tyres with

Nylon Cord, he can be allowed to claim import replenishment against the balance 50 per cent of the FOB value of exports in accordance with the provisions of the policy in force. In this connection, it may be clarified that in such cases the exporter, while claiming REP licence against the balance 50 per cent of the FOB value of exports will not be entitled to the import of the item at entry (j) in Col. 4 against S. No. B.61.1 (viz. Nylon Tyre Yarn/Cord/filament/fabric). If the exporter makes nomination for FOB value less than 50 per cent of the value of his exports, then he can apply for import of the said item (j) to the extent of the 80 per cent of the REP entitlement due on the difference between 50 per cent of the FOB value of exports and the FOB value of exports for which nomination has been made. For the balance REP entitlement due to the exporter on the exports for which no nomination has been made, he will be eligible to apply for import of other items as permissible under the policy.

विषय.—अप्रैल, 1974—मार्च, 1975 अवधि के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति ।

सं० 174-आई०टी०सी० (पी० एन०)/74.—उपर्युक्त विषय पर, वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 144 आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनांक 26 सितम्बर, 1974 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

उक्त सार्वजनिक सूचना की उप-कंडिका 2(2) में यह बताया गया है कि जहां पर एक निर्यातक नाइलोन कोर्ड के साथ टायरों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 50% के लिए नामन करता है तो उसे लागू नीति की व्यवस्थाओं के अनुसार निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के शेष 50% के लिए आयात प्रतिपूर्ति का दावा करने के लिए स्वीकृति दी जा सकती है । इस संबंध में यह स्पष्ट कर लिया जाए कि ऐसे मामलों में निर्यातक जब निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के शेष 50% के मद्दे आर ई पी का दावा कर रहा हो तो क्रम संख्या बी० 61 1 (अर्थात् नाइलोन टायर यार्न/कोर्ड/फिलामेंट/फेब्रिक) के सामने के कालम 4 में प्रविष्टि (जे) की मद का आयात करने का हकदार नहीं होगा । यदि निर्यातक अपने निर्यातों के मूल्य के 50% से कम जहाज पर निशुल्क मूल्य के लिए नामन करता है तब वह उक्त मद (जे) के आयात के लिए निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के 50% और जिसके लिए नामन किया गया है उन निर्यातों के जहाज पर निशुल्क मूल्य के बीच आने वाले अन्तर की हकदारी के 50% की सीमा तक के लिए आवेदन कर सकता है । जिन निर्यातों के लिए नामन नहीं किया गया है उन निर्यातों के लिए निर्यातक पर बाकी रहे शेष आर० ई० पी० हकदारी के लिए वह नीति के अन्तर्गत यथा अनुमेय अन्य मदों के आयात के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा ।

SUBJECT.—*Import Policy for Registered Exporters for the period April, 1974—March, 1975.*

No. 175-ITC(PN)/74.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in Volume II of the Import Trade Control Policy Book for the year April, 1974—March, 1975, issued under the Ministry of Commerce Public Notice No. 44-ITC(PN)/74 dated the 2nd April, 1974 as amended from time to time.

2. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of the Red Book Vol. II	Reference	Amendments
195-201	Product groups V & W Col. 5	The existing description "dyed or printed "dyed and printed" and "dyed and/or printed" may be amended to read as "Other than grey."

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय.—अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति

सं० 175–आई० टी० सी० (पी० एन०)/74.—वाणिज्य मंत्रालय की समय समय पर यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या :44 आई टी सी (पी एन)/74, दिनांक 2–4–74 के अन्तर्गत अप्रैल, 1974–मार्च, 1975 वर्ष के लिए जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिए निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. निम्नलिखित संशोधन नीचे निर्दिष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किए जाएं :–

रैडबुक (वा० 2) की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
19–5–201	उत्पाद वर्ग बी एंड डब्ल्यू ——— कालम–5	वर्तमान विवरण "रंगे हुए अथवा छपे हुए", "रंगे हुए एवं छपे हुए" एवं "रंगे हुए एवं/अथवा छपे हुए" को संशोधित कर "भूरे से भिन्न" के रूप में पढ़ा जाए।

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974